

फर्द अहकाम

हनुमान वगै० बनाम सीताराम वगै०

नाम न्यायालय :- उपखण्ड अधिकारी फागी
केस संख्या:- 120/2025 T.I.

है कि विवादित आराजी खतोनी सं. 646
के ख.नं. 2957/1, 2957/2, 2958/1,
2958/2, 2961, 2988, 3021, 3225, 3226,
3227, कुल किला 10 कुल रकबा 6.1834
हैक्टयर खाता सं. 648 के ख.नं. 3985/1,
3985/2, 4000, कुल किला 3 कुल रकबा
0.3794 हैक्टयर, खाता सं. 290 में वर्णित
ख.नं. 3343/2, 3344/1, 3346, 3364,
3365, कुल किला 5 कुल रकबा 0.9105
हैक्टयर, खाता सं. 336 में वर्णित ख.नं.
3151/1, 3151/2, 3151/3, 3218, 3310/1,
3310/2, 3344/2, 3348, 3352, 3417,
3418 कुल किला 11 कुल रकबा 2.3519
हैक्टयर, खाता सं. 647 में वर्णित आराजी
ख.नं. 3978 रकबा 0.1012 हैक्टयर भूमि
वाके ग्राम फागी उत्तर तह. फागी
जिला जयपुर में स्थित है आराजीयात
की मौके व रिकॉर्ड की तथा स्थिति बनाए
रखे। पत्रावली वास्तं शेष की तलबी हेतु
दिनांक 20.11.25 को पेश हो

उपखण्ड अधिकारी

31/11/25

आज यह पत्रावली भूलवाड के जाफ़
तलब कि गई। प्राची ने अपने भूलवाड
को विक्रो कर खारिज करा लिया।
तथा उ. पत्राअस्थाई निषेधाज्ञा का
आगे चलाने को कोई औचित्य
शेष नहीं है अतः प्राची का अर्जन
पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को इस तरह
पर खारिज किया जाता है। पत्रावली
जिसल सुमार चेकर फर्म सं. सं. 43
है वास्तुल दफ्तर रही

Not present

हनुमान
से
गव. by

उपखण्ड अधिकारी

फागी